

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर,
जिला बालाघाट म.प्र.**

व्य.वाद क.300075ए/2016
संस्थित दिनांक-02.11.2016
फा.नं.-3003662016

हेमराज परते पिता गुन्नूराम, उम्र 45 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी ग्राम पोण्डी (गढी) तहसील बैहर जिला बालाघाट।

.....वादी

:: विरुद्ध ::

1. गुन्नूराम पिता छोटू, उम्र-70 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी ग्राम पोण्डी(गढी) तहसील बैहर जिला बालाघाट।
2. श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 22.09.2017 को घोषित)

01- यह वाद विवादित भूमि खसरा नंबर-43/3 रकबा 2.199 एकड़ एवं खसरा नंबर 66/22/क रकबा 0.178 भूमि मौजा पोण्डी, प.ह.नंबर-54 तहसील बैहर जिला बालाघाट के विषय में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम से ग्राम पोण्डी प.ह.नं. 54 तहसील बैहर जिला बालाघाट में खसरा नम्बर 43/3 रकबा 2.199ए एवं खसरा नंबर 66/22/क रकबा 0.178 भूमि स्वामी हक की पैतृक एवं खानदानी भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 को उसके पिता छोटू से प्राप्त हुई और छोटूसिंह को उसके पिता धनसिंह से प्राप्त हुई।

03— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 आपस में सगे पिता पुत्र है। प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम से ग्राम पोण्डी प.ह.नं. 54 तहसील बैहर जिला बालाघाट में खसरा नम्बर 43/3 रकबा 2.199ए एवं खसरा नंबर 66/22/क रकबा 0.178 भूमि स्वामी हक की पैतृक एवं खानदानी भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 को उसके पिता छोटू से प्राप्त हुई और छोटूसिंह को उसके पिता धनसिंह से प्राप्त हुई। प्रतिवादी क्रमांक 01 गुन्नूराम की उक्त सम्पत्ति खानदानी एवं पैतृक होने से वादी का हक एवं अधिकार है। वादी अपने पिता अर्थात् प्रतिवादी क्रमांक 01 को अपने साथ रखकर उसकी सेवा-जाप्ता करता है और उसका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कास्त चल रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 दिनांक 20.10.2016 को 11.00 बजे गांव में हल्ला कर रहा था कि वह अपने नाम की भूमि को किसी भी समय चोरी छिपे किसी अन्य को बिक्री कर भाग जायेगा और प्राप्त होने वाली राशि को अपनी मनमर्जी से खर्च करेगा।

04— प्रतिवादी क्रमांक 01 के हल्ला-गुल्ला को वादी ने सुना और उसे समझाया कि ऐसा गांव में हल्ला नहीं करते और जमीन क्यों बेचोगे वह आपकी पूरी देख-रेख, ईलाज आदि में खर्च कर रहा है तथा आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है, उक्त जमीन खानदानी है, जिस पर उसका भी हक है, तब प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा कहा गया कि वर्तमान में जमीन उसके नाम पर है और वह जैसा चाहे वैसा करेगा, दारू पीकर मजा करेगा, उसे रोकने वाला वह कौन है, उसका सौदा दूसरे जिले के धनी-मानी दबंग आदमी से हो गया है और रजिस्ट्री पंजीयन भी ऑनलाईन हो रहा है उसे पता भी नहीं चलेगा और वह रजिस्ट्री के आवश्यक दस्तावेज नक्शा, खसरा आदि वादी को दिखाकर कहने लगा कि देख उसकी रजिस्ट्री की तैयारी हो चुकी है और अब उससे जो बनता है, कर ले कैसे रोकेगा वह देख लेगा।

05— वादी को यह आशंका है कि प्रतिवादी क्र. 01 खानदानी भूमि को किसी भी समय चोरी से बेचकर भाग जायेगा और वादी को खानदानी हक व सम्पत्ति से वंचित कर देगा। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने कुछ समय पूर्व खानदानी भूमि जो ग्राम पोण्डी में स्थित थी, जिसका खसरा नम्बर 3/3 रकबा 0.663 हेक्टेयर भूमि है, को छत्तीसगढ़ निवासी को बिक्री कर दिया है और प्राप्त प्रतिफल की राशि को अपनी मनमर्जी से शराब पीकर राशि का दुरुपयोग कर लिया, जिससे वादी को आर्थिक रूप से अपरिमित क्षति हुई है। प्रतिवादी क्रमांक 01 शराबी प्रवृत्ति का है और वह कोई भी कदम बिना सोचे समझे उठाता है, जिससे अनेक परेशानी उत्पन्न हो जाती है।

06— प्रतिवादी क्रमांक 01 को वादग्रस्त भूमि को अफरा-तफरी करने, किसी अन्य को विक्रय करने अथवा किसी अन्य के नाम पर भूमि को अन्तरण करने में सफल हो जायेगा तो वादी को खानदानी भूमि में प्राप्त होने वाले हक से वंचित होना पड़ेगा, जिससे उसे अपरिमित क्षति होगी। वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में धान की फसल लगाई गई है, जो कटने की स्थिति में है। वादी का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा बना हुआ है, यदि प्रतिवादी द्वारा भूमि को विक्रय किया जाता है तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी भरपायी असंभव है। अतः खसरा नंबर-43/3 रकबा 2.199ए एवं खसरा नंबर 66/22/क रकबा 0.178 भूमि मौजा पोण्डी, प.ह.नंबर-54 तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा किसी अन्य को हस्तांतरित या विक्रय करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जावे।

07— स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादी के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादी क्रमांक 01 ने यह कहा है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 गोंड जाति के हैं व हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादी ने न्यायालय के समक्ष अधूरा

वंश वृक्ष प्रस्तुत किया है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 01 की दो पुत्रियां भी हैं, जिनके नाम क्रमशः जानकीबाई व सोमबतीबाई हैं, जिसमें से सोमबतीबाई फौत हो चुकी है, जिसके तीन वारसान क्रमशः पुत्र महादेव, पुत्री पार्वती और पुत्र बबलू हैं। वादग्रस्त भूमि का खसरा नम्बर 66/22/क रकबा 0.178 हे. भूमि है, में से रकबा 0.008 हे. भूमि पर स्वयं प्रतिवादी ने पक्का मकान बनवाया था, जिसमें प्रतिवादी अपनी पत्नि मनकीबाई व पुत्र हेमराज के साथ रहता था, परन्तु आज से 08 वर्ष पूर्व हेमराज ने उक्त मकान में कब्जा कर लिया और प्रतिवादी एवं उसकी पत्नि को मारपीट कर घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद प्रतिवादी अपनी पत्नि के साथ अपनी पुत्री जानकीबाई के साथ रहने लगे, तब जानकीबाई ने ग्राम पोण्डी में 0.20 डिसमिल भूमि खरीदकर अपने माता-पिता के रहने के लिए मकान-बाड़ी बनवाया, तब से प्रतिवादी अपनी पुत्री के बनाये हुये मकान में अपनी पत्नि के साथ ग्राम पोण्डी में निवास कर रहा है। प्रतिवादी की पुत्री द्वारा ही प्रतिवादी व उसकी पत्नि की संपूर्ण देख-भाल सेवा-जाप्ता की जा रही है। प्रतिवादी की पुत्री जानकीबाई ही विवादित भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु प्रतिवादी के लिए खाद, बीज की व्यवस्था करती है और वादग्रस्त भूमि की संपूर्ण देख-भाल प्रतिवादी क्रमांक 01 के साथ मिलकर करती है।

08— वादी ने प्रतिवादी को घर से निकाला, उसके कुछ समय उपरांत प्रतिवादी ने विवादित भूमि का मौखिक बंटवारा नजरी-नक्शा के हिसाब से चार हिस्सों में कर दिया था, जिसमें से एक हिस्सा स्वयं प्रतिवादी, दूसरा हिस्सा वादी, तीसरा हिस्सा अपनी पुत्री जानकीबाई व चौथा हिस्सा मृतक सोमबती बाई के वारसानों को दिया था, तब से सभी लोग बंटवारे के हिसाब से वादग्रस्त भूमि को कमाते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी क्रमांक 01 वृद्ध व्यक्ति है और कृषि के अलावा उसके पास जीविकोपार्जन को कोई अन्य साधन नहीं है, जिससे वह अपनी जीविका चला सके। प्रतिवादी अपने हिस्से की भूमि को अधिया-बटिया में देकर कास्त करवाता है, यदि प्रतिवादी अपने हक

मालिकी एवं कब्जे की भूमि को बेच देगा तो जो थोड़ी बहुत आय होती है, उससे भी वंचित हो जायेगा। प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि का लिखित बटवारा करवाना चाहता है, जिसकी जानकारी वादी को है और वादी नहीं चाहता है कि प्रतिवादी अपनी पुत्रियों को भी हिस्सा दे और वह विवादित भूमि में से 2.00 एकड़ भूमि विक्रय कर विक्रय की राशि वादी को दे और शेष संपूर्ण भूमि मात्र वादी को ही दे और बार—बार प्रतिवादी को धमकी देता है कि यदि उसने अपनी पुत्रियों को हिस्सा दिया, तब परिणाम अच्छा नहीं होगा। प्रतिवादी ने आज से 10 वर्ष पूर्व स्नेहवश वादी के लिए पोण्डी निवासी पतिराम पिता सुखराम से 0.58 डिसमिल भूमि खरीदा था। वादी ने प्रतिवादी को बहला—फुसलाकर व अपनी आवश्यकताएं बतलाकर खसरा नंबर 3/3 रकबा 0.663 हे. भूमि बिक्री करवा दिया और बिक्री की संपूर्ण राशि स्वयं रख लिया। प्रतिवादी को बाद में जानकारी हुई कि वादी ने उक्त भूमि को विक्रय करवाने के पूर्व बयाने की राशि भी स्वयं रख ली थी।

09— प्रतिवादी ने उक्त विवादित खानदानी भूमि को विक्रय करने का कभी प्रयास नहीं किया और ना ही बेचने का प्रयास कर रहा है। वादी स्वयं प्रतिवादी व उसकी पुत्रियों का हक, हिस्सा हड़पना चाहता है और बार—बार उन्हें हिस्से की भूमि से हटाने का प्रयास कर रहा है और इस वर्ष भी संपूर्ण खाद, बीज प्रतिवादी की पुत्री जानकीबाई ने दी थी और लगभग 40—45 किंवटल अनाज भी विवादित भूमि में पैदा हुआ, परन्तु वादी ने मात्र 05 किंवटल अनाज ही वादी को दिया तथा पूछने पर गाली—गलौच करने पर आमादा हो गया। वादी, प्रतिवादी एवं उसकी पत्नि का पालन—पोषण व देख—भाल नहीं करता है और प्रतिवादी की वृद्धावस्था का लाभ उठाकर अपनी मनमानी करता है। प्रतिवादी वादी से 10,000/—(दस हजार रुपये) क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी है। वादी ने न्यायालय को गुमराह करने के आशय से यह

झूठा दावा बिना किसी कारण के प्रस्तुत किया है, जो पोषणीय ना होने से सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

10— न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 40/3 रकबा 2.199 एकड़ तथा खसरा नम्बर 66/22/क रकबा 0.178 मौजा पोण्डी प.ह.नं. 54 वादी की पैतृक संपत्ति है ?	प्रमाणित
2.	क्या प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के विक्रय का प्रयत्न किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं
3.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका क्रमांक 18 के अनुसार वाद निरस्त किया गया।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02 का निष्कर्ष:—

11— वादी हेमराज वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि मौजा पोण्डी प.ह.नं.54 तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित खसरा नम्बर 43/3 रकबा 2.199ए एवं खसरा नम्बर 66/22/क रकबा 0.178 खानदानी भूमि है, जो प्रतिवादी क्रमांक 01 को उसके पिता छोटूसिंह तथा उसे उसके पिता धन्नुसिंह से प्राप्त हुई। वह अपने पिता प्रतिवादी क्रमांक 01 को अपने साथ रखकर उसकी सेवा-जाफ़ता करता है तथा उक्त भूमि पर काश्त कर रहा है। दिनांक 20.10.2016 को 11:00 बजे प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा हल्ला किया गया कि वह उक्त भूमि को किसी भी समय चोरी-छिपे विक्रय कर भाग जायेगा और राशि को अपनी इच्छानुसार खर्च करेगा, तब उसने आपत्ति की कि उक्त भूमि खानदानी है, जिस पर उसका भी हक है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा कहा गया कि जमीन उसके

नाम पर होने के कारण वह स्वतंत्र है तथा उसका सौदा दूसरे जिले के व्यक्ति से हो गया है। चूँकि पंजीयन ऑन लाईन हो रहा है, किसी को खबर लगे बिना वह रजिस्ट्री कर भाग जायेगा। फिर शाम को प्रतिवादी क्रमांक 01 रजिस्ट्री के आवश्यक दस्तावेज उसे दिखाकर कहने लगा कि उसकी तैयारी हो चुकी है। उक्त कारण से उसे आशंका है कि प्रतिवादी उक्त खानदानी भूमि को किसी भी समय चोरी से बेचकर भाग जायेगा और उसे खानदानी हक व संपत्ति से वंचित कर देगा, क्योंकि पूर्व में भी प्रतिवादी ने ग्राम पोण्डी स्थित खानदानी भूमि खसरा नंबर 3/3 रकबा 0.663 को छत्तीसगढ़ निवासी को विक्रय करने के पश्चात प्रतिफल राशि शराब पीने में खर्च कर दुरुपयोग किया है।

12— वादी हेमराज वा.सा.01 के अनुसार प्रतिवादी शराबी प्रवृत्ति का है और कोई भी कदम बिना सोचे-समझे उठाता है। उसने वादग्रस्त भूमि में वर्तमान धान की फसल लगाई है, जो कटने की स्थिति में है और उसका कब्जा लगातार वादग्रस्त भूमि पर बना हुआ है। जिस कारण प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है। यदि प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय किया जाता है तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी, जिस कारण उसे निषेधित किये जाने हेतु वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है। उसने वाद के समर्थन में पांचसाला खसरा प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02, नक्शा प्र.पी.03 एवं 04 तथा अधिकार अभिलेख प्र.पी.05 प्रस्तुत किया है। वादी के उक्त कथनों का समर्थन विजय शंकर वा.सा.02 तथा पतिराम वा.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है।

13— प्रतिवादी गुन्नूराम प्र.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि उभयपक्ष गौड जाति के हैं और हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादी उसका पुत्र है, जिसके अलावा उसकी दो पुत्रियाँ जानकीबाई एवं सोमबतीबाई हैं,

जिसमें से सोमबतीबाई फौत हो चुकी है, जिसके तीन वारसान पुत्र महादेव, पुत्री पार्वती और पुत्र बबलू है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 66/22/क रकबा 0.178 हे. भूमि में से रकबा 0.008 हेक्टेयर भूमि पर उसने पक्का मकान बनवाया था, जिसमें वह पत्नि मनकीबाई तथा वादी हेमराज के साथ रहता था, परन्तु 08 वर्ष पूर्व वादी ने माता-पिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया और उक्त मकान में कब्जा कर लिया है, तब वह पति-पत्नी पुत्री जानकीबाई निवासी भाई-बहन नाला गढ़ी के यहां रहने लगे और उक्त दौरान पुत्री जानकीबाई ने ग्राम पोण्डी में 0.20 डिसमिल भूमि खरीदकर उनके रहने के लिए मकान-बाड़ी बनवाया, जिसके पश्चात से वह उक्त मकान में निवास कर रहा है और उनकी संपूर्ण देख-भाल पुत्री द्वारा ही की जा रही है और जानकीबाई ही वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य करने के लिये खाद, बीज की व्यवस्था करती है। घर से निकलने के कुछ समय पश्चात उसने वादग्रस्त भूमि का मौखिक बंटवारा चार हिस्से में कर दिया था, जिसमें एक हिस्सा स्वयं, दूसरा हिस्सा वादी, तीसरा हिस्सा पुत्री जानकीबाई और चौथा हिस्सा सोमबतीबाई के वारसानों को दिया और तत्पश्चात से सभी लोग वादग्रस्त भूमि उक्त बंटवारे के हिसाब से कमाते चले आ रहे हैं।

14— गुन्नूराम प्र.सा.01 के अनुसार वह अत्यधिक वृद्ध है तथा कृषि के अतिरिक्त उसके पास जीविकोपार्जन हेतु अन्य साधन नहीं है और इस हेतु वह अपने हिस्से की भूमि को अधिया-बटई में देकर काश्त करवाता है। वह वादग्रस्त भूमि का लिखित बंटवारा करना चाहता है, परन्तु वादी हेमराज यह नहीं चाहता की वह अपनी पुत्रियों को उक्त भूमि का हिस्सा दे, इस कारण लड़ाई-झगड़ा करता है और दबाव डालता है कि दो एकड़ भूमि विक्रय कर राशि तथा शेष संपूर्ण भूमि उसे ही दे अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। उसने 10 वर्ष पूर्व स्नेहवश वादी के लिये पोण्डी निवासी पतिराम पिता सुखराम से 0.58 डिसमिल भूमि क्रय की थी, जिसे वादी ने आवश्यकता बता कर खसरा नंबर 3/3 रकबा 0.663 हेक्टेयर भूमि विक्रय करवा दिया और संपूर्ण

राशि स्वयं रख ली। उसने कभी भी खानदानी भूमि को विक्रय करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि कृषि के अतिरिक्त अन्य साधन नहीं होने से विक्रय से वह स्वयं आय से वंचित हो जायेगा। उक्त कथनों का समर्थन बुधराम प्र.सा.02 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है।

15— प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के खानदानी होने के तथ्य को स्वीकृत किया गया है तथा संपूर्ण प्रकरण में उक्त तथ्य को विवादित नहीं किया गया है। उभयपक्ष की साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं कि वादग्रस्त भूमि पैतृक नहीं है तथा वादी द्वारा तत्संबंध में अधिकार अभिलेख प्र.पी.05 प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। अब प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी द्वारा वादी के हक को नष्ट करने के लिए वादग्रस्त भूमि के अवैध विक्रय का प्रयत्न किया जा रहा है। उक्त विवादक हेतु सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या किसी सहदायी को कर्ता द्वारा किये जा रहे अंतरण को निषेधित किये जाने का अधिकार है। उभयपक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया गया है कि यद्यपि वह गोंड जनजाति के हैं, तथापि हिन्दू विधि से शासित होते हैं। साक्षी पतिराम प्र.सा.03 ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 08 तथा प्रतिवादी गुन्नुराम प्र.सा.01 ने मुख्यपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 01 में उक्त तथ्य को प्रकट किया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में सहदायी पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार प्राप्त करता है, परंतु वह संपत्ति के पृथक आधिपत्य का अधिकारी नहीं होता। उसके अधिकार कर्ता से स्वतंत्र नहीं होते। कर्ता के पास कुछ परिस्थितियों में संपत्ति के अंतरण का अधिकार होता है। सहदायी के पास अंतरण को चुनौती देने का अधिकार रहता है, परंतु कर्ता को अंतरण से निषेधित करने का अधिकार नहीं होता।

16— प्रकरण में स्वयं वादी हेमराज वा.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह संपूर्ण भूमि को स्वयं कमाता है और उसके पिता वादग्रस्त भूमि का लिखित बंटवारा करना चाहते हैं तथा उसे आशंका है कि भूमि विक्रय कर उसका हक नष्ट कर देंगे। अन्य वादी साक्षीगण विजय कुमार वा.सा.02 तथा पतिराम वा.सा.03 ने भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी ने भूमि का चार हिस्सों में मौखिक बंटवारा कर दिया है, परंतु समस्त भूमि हेमराज कमा रहा है। प्रतिवादी गुन्नुराम प्र.सा.01 ने भी अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में भूमि का चार हिस्सों में मौखिक बंटवारा करने के कथन किये हैं, परंतु प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह वादी हेमराज के साथ ही निवास कर रही है। वादी हेमराज वा.सा.01 के अनुसार प्रतिवादी द्वारा पूर्व में वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर दुरुपयोग किया गया है। उक्त विक्रय के संबंध में वादी द्वारा कोई सारभूत साक्ष्य प्रकट न कर मात्र मौखिक कथन किये गये हैं। यद्यपि प्रतिवादी द्वारा भी तत्संबंध में कोई दस्तावेजी पर अन्य उपयुक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, परंतु प्रतिवादी गुन्नुराम प्र.सा. 01 ने पुनः परीक्षण में विशिष्ट रूप से वादी की पुत्री के विवाह हेतु विक्रय करना व्यक्त किया है, जिसका खंडन नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का मात्र सुविधा हेतु मौखिक औपचारिक बंटवारा किया गया है, परंतु संपूर्ण भूमि कर्ता गुन्नुराम के स्वामित्व तथा आधिपत्य में है, जिसमें वादी द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है तथा पूर्व विक्रय कर्ता द्वारा विधिक आवश्यकताओं हेतु किया गया।

17— निर्णय के पूर्व स्तर पर ही यह स्पष्ट किया गया है कि सहदायी के पास कर्ता को अंतरण से निषेधित करने का अधिकार नहीं होता। धारा-38 तथा धारा-41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के संयुक्त अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्थाई निषेधाज्ञा तब जारी नहीं की जा सकती, जब पक्षकार के पास अन्य कार्यवाही के माध्यम से उचित उपचार प्राप्त करने का अधिकार होता है। पूर्व में भी न्यायदृष्टांत जुझारसिंह वि.

ज्ञानी त्रिलोक सिंह 1986 पंजाब एल.जे.346, सुनील कुमार व अन्य वि० रामप्रकाश व अन्य ए.आई.आर.1988 एस.सी.576, लालदास वि० रघुवीरदास व अन्य ए.आई.आर. 2004 पंजाब व हरियाणा 41 द्वारा उक्त सिद्धांत को स्थापित किया गया है कि सहदायी के पास कर्ता द्वारा किये गये अंतरण को चुनौती देने का उपयुक्त उपचार रहता है, इसलिये वह कर्ता को अंतरण से निषेधित नहीं कर सकता। वर्तमान प्रकरण में विक्रय अथवा प्रयत्न के संबंध में कोई सारभूत साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। फलतः विवाद्यक क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित एवं विवाद्यक क्रमांक 02 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष:-

सहायता एवं व्यय:-

18- चूंकि वादी को अपेक्षित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है और वह प्रतिवादी के विक्रय के प्रयत्न को दर्शाने में भी असफल रहा है, जिससे उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणाम स्वरूप वर्तमान वाद खारिज किया जाता है।

अ- वाद व्यय वादी द्वारा वहन किया जावेगा।

ब- अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो

तदनुसार आज़ाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर,

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही/-

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो

बैहर बालाघाट म.प्र.

सही/-

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो

बैहर बालाघाट म.प्र.